अध्याय-VI
कर भिन्न प्राप्तियाँ

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित होता है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्त्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 58 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 33 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 131.53 करोड़ से सन्निहित 250 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएँ पाई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका 6.1** में वर्णित है।

तालिका–6.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	25	42.50
2.	बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेखों का निबंधन नहीं कराये जाने के कारण राजस्व की हानि	35	18.09
3.	माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बगैर खनिज का उत्खनन	1	5.21
4.	ईंट भट्ठों के मालिकों से रॉयल्टी की नहीं/कम वसूली	11	4.59
5.	पत्थर खान के पट्टे से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली	13	2.68
6.	साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	8	1.76
7.	अधिनियमों/नियमावलियों के लगातार उल्लंघन हेतु जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना	5	0.82
8.	अन्य	152	55.88
कुल		**250**	**131.53**

वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग ने दो मामलों में अंतर्निहित ₹ 75.92 लाख के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। दो मामलों में ₹ 72,000 की वसूली हुई थी जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष 2011–12 में की गई थी।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 10.58 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

6.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसाकि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। इन चूकों एवं अनियमितताओं को पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद ये अनियममितताएँ निरंतर होती रहीं। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

6.4 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 40 (10) प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे तथा कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। विभाग ने यह भी अधिसूचित किया था (जनवरी 2006) कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के प्रस्तुतिकरण के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त विपत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे प्रपत्रों एवं विवरणी की छायाप्रति संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेजे। यदि संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र/शपथपत्र के जाँचोपरान्त यह पता चलता है कि खनिज किसी प्राधिकृत पट्टाधारी से क्रय नहीं किया गया है, तब यह समझा जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन से प्राप्त किया गया है और उस परिस्थिति में उक्त संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी शपथपत्र बनाने वाले के विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई करेंगे।

पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है और साथ ही उस व्यक्ति द्वारा बिना कोई कानूनी प्राधिकार के कब्जे में लिए गए जमीन का किराया, रॉयल्टी या कर, (जैसा भी मामला हो) भी वसूल कर सकती है।

जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच छः खनन कार्यालयों[1] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से हमने पाया कि कार्य विभागों द्वारा वर्ष 2012–13 के अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में कुल ₹ 5.47 करोड़ की कटौती कर शीर्ष ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'' के अंतर्गत जमा किया गया था। कार्य विभागों ने संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों की विवरणी संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को जाँच हेतु नहीं भेजा था। बजाए कार्य विभागों ने, यद्यपि वे इसके लिए प्राधिकृत नहीं थे, कार्य संवेदकों के विपत्र से उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों के विरूद्ध रॉयल्टी की कटौती की। यह इंगित करता है कि खनिज प्राधिकृत व्यवसायी/अनुज्ञप्तिधारी से क्रय नहीं किया गया था। पुनः खनन पदाधिकारी, कार्य विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, अवैध खनन रोकने हेतु कोई कार्यवाई नहीं की तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 5.47 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्युनतम अर्थदण्ड का मांग कार्य संवेदकों के विरुद्ध कार्य विभागों के माध्यम से नहीं किया।

इस प्रकार अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि यदि कार्य संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया था, तब संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अर्थदंड की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विभाग का उत्तर, उपरोक्त नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है, जो प्रपत्र 'एम' में शपथपत्र तथा प्रपत्र 'एन' में खनिजों की विवरणी प्रस्तुत करने के मामले में लागू होता है। इस प्रकार तथ्य यह है कि व्यवहृत खनिजों के विरुद्ध कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी की कटौती और इसे कोषागार में प्रेषण यह दर्शाता है कि खनिज अनुज्ञप्तिधारी/अधिकृत व्यवसायी से खरीदा नहीं गया था और बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के तहत् अर्थदण्ड लगाना चाहिए था।

6.5 माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन

खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 22 ए के अनुसार अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा और खनन पट्टा के संचालन की अवधि के दौरान अनुमोदित माइनिंग प्लान में परिवर्तन के लिए पूर्वानुमोदन की भी आवश्यकता होगी। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 का नियम 12 प्रावधित करता है कि पट्टेधारी माइनिंग प्लान की समीक्षा करेंगे और अगले पाँच वर्षों के लिए खनन योजना वर्तमान प्लान की समाप्ति से कम से कम 120 दिन पहले भारतीय खान ब्यूरो को समर्पित करेंगे तथा भारतीय खान ब्यूरो 90 दिनों के भीतर उसके अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना देगा। पुनः खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के नियम 23 बी के अन्तर्गत खनन पट्टा का नवीकरण या नई स्वीकृति के मामलों में पट्टेधारी माइनिंग प्लान के अवयव के रूप में एक प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत करेगा। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (5) विहित करती है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिज निकालेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर

---

[1] औरंगाबाद, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर एवं शेखपुरा।

दिया गया हो, वहाँ रॉयल्टी के साथ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है।

खनन कार्यालय, मुंगेर में सिलिका पत्थर (क्वार्ट्जाइट) के खनन पट्टा संचिका की संवीक्षा में हमने फरवरी 2014 में पाया कि एक पट्टेधारी ने वर्ष 2004–05 से 2011–12 की अवधि के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत नहीं किया था और अपने खान से खनिजों का उत्पादन एवं प्रेषण लगातार जारी रखा था। अनुमोदित माइनिंग प्लान/योजना के अभाव में खनन पदाधिकारी खनिजों के उत्खनन का अनुश्रवण करने में अक्षम थे। पट्टा के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना खनिजों के प्रेषण के लिए अभिवहन पास भी निर्गत किया गया तथा मासिक विवरणियों के आधार पर रॉयल्टी का संग्रहण किया गया। पट्टेधारी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद भी संबंधित खनन पदाधिकारी ने अभिवहन पास निर्गत किया जिससे पट्टेधारी अपने खनिजों के प्रेषण में सफल रहे। पट्टेधारी को अदेय लाभ दिए जाने के फलस्वरूप सरकार को अर्थदंड के रूप में ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामला सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया गया था, हम उनके उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.6 बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेख का निबंधन नहीं कराये जाने से राजस्व की हानि तथा पट्टेधारी को अदेय लाभ

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(डी) के अनुसार अचल संपत्ति की लीज दस्तावेजों का साल–दर–साल अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए निबंधन कराना है। पुनः अगर दस्तावेज निबंधित नहीं किया जाता है, तब भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 49(सी) के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

छः जिला खनन कार्यालयों[2] में बालू घाटों की बंदोबस्ती संचिकाओं से हमने जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010 में 10 बालू घाटों की बंदोबस्ती ₹ 18.07 करोड़ में अगले दो लगातार वर्षों के लिए बंदोबस्ती राशि की 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ किए गए थे। बन्दोबस्तधारियों ने केवल बन्दोबस्ती राशि पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया था लेकिन वर्ष 2010–12 की बंदोबस्ती अवधि के लिए इसे निबंधित नहीं कराया था जिसके परिणामस्वरूप निबंधन फीस के रूप में ₹ 2.94 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पुनः हमने पाया कि कलेण्डर वर्ष 2010–12 के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2009 में बन्दोबस्ती के निबंधन की शर्तों को सम्मिलित नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2007–09 के पूर्ववर्ती बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2006 में निबंधन की शर्तों को शामिल किया गया था। इस प्रकार बंदोबस्ती अवधि 2010–12 के लिए बन्दोबस्ती अवधि के विखंडन के फलस्वरुप सरकार को निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व की क्षति हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (अगस्त 2014) कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अनुसार एक वर्ष के विलेख का निबंधन ऐच्छिक था। पुनः यह कहा कि बालू घाटें वार्षिक आधार पर बन्दोबस्त किए गए थे। सरकार का उत्तर इस

---

[2] औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण (बेतिया), जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), लखीसराय एवं मुंगेर।

तथ्य के अनुरुप नहीं है कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती तीन वर्षों के लिए थी। इस प्रकार, बालू घाटों की बन्दोबस्ती के लिए विलेखों के निबंधन हेतु भारतीय निबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने के फलस्वरुप सरकार निबंधन फीस के रूप में ₹ 2.94 करोड़ के राजस्व से वंचित रह गया।

6.7 ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं मार्च 2001 एवं जनवरी 2012 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार रॉयल्टी की समेकित राशि को निर्धारित करने हेतु ईंट भट्टे को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक परमिट प्राप्त करेगा और रॉयल्टी की समेकित राशि को दो बराबर किस्तों में (50 प्रतिशत ईंट भट्ठा शुरू करने से पूर्व और शेष 50 प्रतिशत मार्च माह के पूर्व तक) भुगतान करेगा। नियम 28 (2) के प्रावधानों के तहत् उत्खनन परमिट हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ ₹ 2,000 देना होगा। यदि ईंट भट्ठा मालिक विहित प्रक्रिया के अनुसार रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहा है तब उसे व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बंद कराएंगे तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करेंगे।

हमलागों ने जनवरी 2014 में दो जिला खनन कार्यालयों (कैमूर एवं समस्तीपुर) में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के ईंट भट्ठा संचिका और मांग एवं संग्रहण पंजी से पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के ईंट मौसम में 584 ईंट भट्टे संचालित किये गये थे। जिसमें से 93 ईंट भट्टे रॉयल्टी की समेकित राशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान किए बगैर संचालित थे और 35 ईंट भट्टे रॉयल्टी का आंशिक भुगतान कर संचालित थे। इसके परिणामस्वरुप 128 ईंट भट्टेदारों से ₹ 82.17 लाख की रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम हुई।

सम्बन्धित खनन पदाधिकारियों ने बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार न तो व्यवसाय को बन्द करने की कोई कार्रवाई की न ही बकाया राशि की वसूली हेतु चूककर्त्ताओं के विरुद्ध नीलामपत्रवाद दायर किया।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल एवं जून 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.8 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया, जिसे पुनरीक्षित (जनवरी 2012) कर ₹ 22 प्रति घनमीटर किया गया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के अनुसार किसी भी उत्खनन के कार्यकलापों के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40 (1) आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दोनों

विहित करता है। पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता हैं जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है।

दो जिला खनन कार्यालयों (जहानाबाद एवं लखीसराय) में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट पंजी के अवलोकन से हमने जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान दो कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 61.38 लाख की कटौती/जमा की गई थी। पुनः हमने पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने उक्त कार्य हेतु आवश्यक उत्खनन परमिट के लिए आवेदन नहीं दिया था। अतः उन्होंने मिट्टी का निष्कासन अवैध रूप से किया था जिसके लिए वे कम से कम ₹ 61.38 लाख[3] की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदंड का भुगतान करने हेतु दायी थे। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 61.38 लाख का अर्थदंड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के तहत् कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्रवाई आरम्भ की।

मामले सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.9 अधिनियमों/नियमावली के लगातार उल्लंघन हेतु जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं उसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचना के अनुसार बिहार में ईंट भट्टे को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। ईंट भट्टेदारों को रॉयल्टी की समेकित राशि को दो बराबर किस्तों में अगले वर्ष मार्च से पूर्व भुगतान करना है। यदि ईंट भट्टा मालिक रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बंद कराएगें तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अन्तर्गत बकाया रॉयल्टी/बकाया राशि की वसूली हेतु नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

पुनः खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (2) प्रावधित करता है कि जो कोई भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड के रूप में कैद की सजा, जिसे एक वर्ष तक अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रुपए तक विस्तारित किया जा सकता है, दी जा सकती है और प्रथम वैसे उल्लंघन हेतु दोषी सिद्ध होने के बाद लगातार उल्लंघन करने पर उल्लंघन

---

[3] संगणनाः

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय	संवेदक का नाम	जमा की गई रॉयल्टी की राशि	अवधि	आरोप्य अर्थदण्ड
लखीसराय	मे॰ बी॰एस॰सी॰–सी॰एण्ड सी॰ 'जे॰वी॰'	30,93,274	अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बीच	30,93,274
जहानाबाद	क्लासिक कोल कन्सट्रक्शन प्रा॰ लि॰	30,45,000	दिसम्बर 2012	30,45,000
कुल		**61,38,274**		**61,38,274**

अवधि के लिए अतिरिक्त जुर्माना आरोप्य होगा, जिसे 500 रुपया प्रतिदिन तक विस्तारित किया जा सकता है।

जिला खनन कार्यालय समस्तीपुर के ईंट भट्टा संचिकाओं और पंजी IX के संवीक्षा में हमने जनवरी 2014 में पाया कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान परमिट लिये और रॉयल्टी का भुगतान किये बगैर 15 ईंट भट्टा मालिकों ने लगातार ईंट भट्टा संचालित किया था। यद्यपि खनन पदाधिकारियों ने चूककर्त्ता ईंट भट्टा मालिकों के विरूद्ध वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान रॉयल्टी एवं ब्याज की वसूली के लिए राजस्व वसूली नीलामवाद दायर किया था परन्तु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय को बंद कराने के साथ–साथ लगातार उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने में विफल रहे। अधिनियम के प्रावधान का लगातार उल्लघंन हेतु आरोप्य अधिकतम अर्थदण्ड की गणना ₹ 40.90 लाख की गई।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने अगस्त 2014 में कहा कि लगातार उल्लंघन हेतु अर्थदंड आरोपित किया जाना वैकल्पिक है, क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में 'shall' के बजाय 'may' शब्द वर्णित हैं। विभाग ने पुनः कहा कि संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 26(क) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अर्थदंड का आरोपण से संबंधित विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है, कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 21(2) प्रावधित करता है कि किसी तरह का उल्लंघन दण्डनीय होगा एवं सिर्फ अर्थदण्ड की राशि भिन्न हो सकती है।

6.10 पत्थर खानों के बंदोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

बिहार लघु खनिज नियमावली, 1972 का नियम 9 (क) प्रावधित करता है कि नियम 52 के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दी जा सकती है अथवा बन्दोबस्त की जा सकती है। उपरोक्त नियमावली के नियम 52 (1), 4 एवं 5 के अनुसार डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। यदि कोई भी किस्त निर्धारित अवधि के पहले जमा नहीं किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित होगा तथा उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

खनन कार्यालय, शेखपुरा के पत्थर खान पट्टों की बंदोबस्ती संचिका की संवीक्षा से हमने फरवरी 2014 में पाया कि तीन पत्थर खानों को सितम्बर 2008 और अगस्त 2009 के बीच ₹ 184.50 लाख में नीलाम किया गया था। बंदोबस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्त का भुगतान करना था, जो जनवरी 2014 तक ₹ 184.50 लाख संचित था, जिसके विरूद्ध उन्होंने कुल ₹ 154.50 लाख ही सितम्बर 2008 और फरवरी 2014 के बीच जमा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई। इसमें अतिरिक्त रॉयल्टी की किस्तों का विलंब से भुगतान किए जाने हेतु ब्याज भी आरोप्य था, जिसकी गणना उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ₹ 2.79 लाख की गई थी, रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद खनन पदाधिकारियों द्वारा बंदोबस्तधारियों के विरूद्ध पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर खनन पदाधिकारी, शेखपुरा ने फरवरी 2014 में कहा कि वसूली हेतु मांग पत्र एवं स्मार निर्गत किए जाएंगे। हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर अबतक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

6.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

यहाँ एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, जो वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। वित्त विभाग के द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान खनन एवं भूतत्व विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

पटना — **(पी0 के0 सिंह)**

दिनांकः — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः — **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**